फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

चौदू बनाम अर्जुनलाल वगै.

मुकदमा नम्बर :– 91 / 2023 वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	26/5/25	प.क.उप.। बहस अन्तिम सुनी गयी। दौराने बहस प्रार्थी/वादी ने ~~सा.पा.~~ वाद पत्र में अंकित तथ्यों व प्रतिवादी ने जवाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर न्यायोचित प्रतीत होता है वादी का वाद डिक्री किया जाता है डिक्री जारी हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा.डि. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)	

ग्रामीण

विशेष विवरण

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

मुकदमा नम्बर :–91/2023

उनवान

बोदू पुत्र जैसा, जाति जाट, निवासी ग्राम नांगल गोविन्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर, राजस्थान।

–वादी–

बनाम

1. अर्जुनलाल पुत्र फल्लूराम, जाति मीणा, निवासी ढ़ाणी जूणदिया तन माचड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर उपतहसीलदार महोदय गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक:–26.05.2025

वादी द्वारा वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया गया है कि वादी की कृषि भूमियां वाके ग्राम नांगल गोविन्द, पटवार हल्का नांगल गोविन्द, भू0अ0नि0 क्षेत्र किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि खाता सं0 नया 97 पुराना 88 के खसरा नं0 125 रकबा 1.80 है0, खसरा नं0 132 रकबा 2.93 है0, खसरा नं0 133 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 134 रकबा 2.48 है0, खसरा नं0 135 रकबा 2.50 है0, खसरा नं0 136 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 137 रकबा 0.22 है0, कुल किता 7 का कुल रकबा 9.95 हैक्टेयर भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में निहित हैं। उक्त भूमियां ही प्रस्तुत वाद पत्र में भूमि विवादग्रस्त हैं। भूमि विवादग्रस्त पर वादी व सहखातेदार काबिज काश्त होकर निरन्तर हर प्रकार से उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा वर्तमान में भी कर रहे हैं तथा सुरक्षा की दृष्टि से वर्तमान में सींव–डोल कायम कर रखी है। विवादित आराजी के उत्तर दिशा में प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी भूमियां खसरा नं0 124/624, 125/609 स्थित हैं व एक ही सीमा है। प्रतिवादी सं0 1

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

के परिवार में काफी लोग हैं, जो जबरन लाठी के जोर पर वादी की भूमियों पर आये दिन अतिक्रमण करने पर आमादा हैं तथा वादी की भूमियों पर जबरन कब्जा कर अनाधिकार निर्माण करना चाहता है तथा वादी जो कमजोर व गरीब काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं, को बर्बाद करने तथा उपयोग–उपभोग व उत्पादन से महरुम करने पर आमादा हैं। प्रतिवादी सं0 1 समाज कंटक गिरोह का सदस्य है तथा बाहुबल पर वादी की विवादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा कर सींव–डोल में तोड़–फोड़ करना चाहता है तथा वादी को उनके हक अधिकार से महरुम कर देना चाहता हैऔर अपने स्वार्थों की पूर्ति करने हेतु वादी की भूमियों की सींव–डोल में तोड़–फोड़ कर वादी को जबरन बेदखल कर कब्जा करना चाहता है तथा इस संबंध में दिनांक 18.10.2023 को प्रतिवादी सं0 1, वादी की वादग्रस्त भूमियों की सींव डोल में तोड़ फोड़ करने की एलानियां धमकी दी तथा कहा कि उनकी उपर तक पहुंच है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता और वादी ने यदि रुकावट पैदा की तो उन्हें मार–मार कर भूमियों से बाहर कर देगा, जिस कारण यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ है।

वादी द्वारा वादपत्र मय शपथ–पत्र पेश कर यह अनुतोष चाहा गया है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी सं0 1 भूमि विवादग्रस्त पर वादी के कब्जे काश्त उपयोग–उपभोग, फसल को काटने में किसी प्रकार की रुकावट, दखल नहीं करें, भूमि विवादग्रस्त के वादी द्वारा की गई तारबन्दी व पत्थरगढ़ी में तोड़ फोड़ कारित नहीं करें, वादी को भूमि विवादग्रस्त से जबरन या अन्यथा बेदखल नहीं करें व स्वयं अवैद्य रुप से प्रवेश कर कब्जा नहीं करें, विवादग्रस्त भूमि की सींव–डोल में तोड़ फोड़ नहीं करें व प्रतिवादी सं0 2 व 3 श्रीमान के आदेश के बिना भूमि विवादग्रस्त के राजस्व रिकॉर्ड व मौका स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन–परिवर्धन न तो स्वयं करें व नही करवायें। उक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 न तो स्वयं करें, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवायें।

प्रतिवादी सं0 1 की ओर से जवाब वाद पत्र इस प्रकार पेश किया गया है कि वादी की जमीनों के लगवा प्रतिवादी सं0 1 की भूमियों हैं, मन प्रतिवादी गरीब व अकेला व्यक्ति है जो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, जिसकी जमीनों पर जबरन कब्जा करने की नियत से यह वाद दायर किया है, प्रतिवादी सं0 1 की भूमियों की नपती करवाकर सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवाकर तारबन्दी या बाउण्ड्रीवाल करवाने के अनुतोष दिये जावे व वादी को प्रतिवादी सं0 1 की भूमियों पर कब्जा नहीं करने के लिये पाबन्द किया जावे।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0—91 / 2023
उनवान—बोदू बनाम अर्जुनलाल वगै0
निर्णय दिनांकः—26.05.2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व प्रतिवादी सं0 1 उपस्थित। वकील वादी व प्रतिवादी सं0 1 को सुना गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग—उपभोग के संबंध में किसी अन्य खातेदार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर आंशिक डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम नांगल गोविन्द, पटवार हल्का नांगल गोविन्द, भू0अ0नि0 क्षेत्र किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि खाता सं0 नया 97 पुराना 88 के खसरा नं0 125 रकबा 1.80 है0, खसरा नं0 132 रकबा 2.93 है0, खसरा नं0 133 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 134 रकबा 2.48 है0, खसरा नं0 135 रकबा 2.50 है0, खसरा नं0 136 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 137 रकबा 0.22 है0, कुल किता 7 का कुल रकबा 9.95 हैक्टेयर भूमि में से विवादग्रस्त आराजी खसरा नं0 125 का सीमाज्ञान तहसीलदार तहसील चौमूं से करवाते हुये जो सीमा चिन्ह कायम किये जाते हैं, उनमें प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें व वादी के उपयोग—उपभोग में बाधा कारित नहीं करें।

पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौमूं

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

मु0सं0—91 / 2023
उनवान—बोदू बनाम अर्जुनलाल वगै0
निर्णय दिनांकः—26.05.2025

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :—प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

उनवान

बोदू पुत्र जैसा, जाति जाट, निवासी ग्राम नांगल गोविन्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर, राजस्थान।

—वादी—

बनाम

1. अर्जुनलाल पुत्र फल्लूराम, जाति मीणा, निवासी ढ़ाणी जूणदिया तन माचड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर उपतहसीलदार महोदय गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :—91 / 2023

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी एवं प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियंका बड़गूजर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि—

विवादित भूमि वाके ग्राम नांगल गोविन्द, पटवार हल्का नांगल गोविन्द, भू0अ0नि0 क्षेत्र किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि खाता सं0 नया 97 पुराना 88 के खसरा नं0 125 रकबा 1.80 है0, खसरा नं0 132 रकबा 2.93 है0, खसरा नं0 133 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 134 रकबा 2.48 है0, खसरा नं0 135 रकबा 2.50 है0, खसरा नं0 136 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 137 रकबा 0.22 है0, कुल किता 7 का कुल रकबा 9.95 हैक्टेयर भूमि में से विवादग्रस्त आराजी खसरा नं0 125 का सीमाज्ञान तहसीलदार तहसील चौमूं से करवाते हुये जो सीमा चिन्ह कायम किये जाते हैं, उनमें प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें व वादी के उपयोग—उपभोग में बाधा कारित नहीं करें।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0—91/2023
उनवान—बोदू बनाम अर्जुनलाल वगै0
निर्णय दिनांकः—26.05.2025

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 26.05.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत..........................

ओहदा..........................
सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	4	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	2	2. स्टाम्प वकालतनामा	2
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय हुक्मनामा	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	6	जोड़	2

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)